



2026:AHC-LKO:7619-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 12447 सन 2025**

मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन एवं 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व लखनऊ

एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	रवि कांत शुक्ला, प्रियदर्शी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. हमने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई प्रार्थना/राहतों का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी प्रतिवादियों को उनकी भूमि पर कब्ज़ा सुनिश्चित करने और प्रतिवादी संख्या 5 जो एक निजी प्रतिवादी है द्वारा किए गए अस्थायी निर्माणों को हटाने के लिए परमादेश जारी करने की मांग की है। इस प्रकार की याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का पालन करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

फरवरी 2, 2026

प्रवीण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।